रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11—मार्च 17, 2006 (फाल्गुन 20, 1927)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11—MARCH 17, 2006 (PHALGUNA 20, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2
[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 फरवरी 2006

सं ए. 22012/1/2006-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री शालीन काबरा, आई. ए. एस. (जे. के.:1992), को दिनांक 21 फरवरी, 2006 के अपराह्न से लेकर केन्द्र में चार वर्ष के उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 25 अगस्त, 2006 तक के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2006

सं ए.-22017/1/2006-पी.एम.ए.--श्री पी. पी. माधवन ने गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नति पर अपनी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 13 दिसम्बर 2005 के पूर्वाह्न से प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. के. राय, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं ए.-12022/2/2006-प्रशा. IV--वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं.-11016/2/2005-आई.ई.एस. दिनांक 06 दिसम्बर 2005 के तहत उनके सीनियर टाइमस्केल (रु. 10,000-325-15,200/-) भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु. 12,000-325-16,500/- रुपये) पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री आर. सी. डे, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी, ने भुवनेश्वर में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के परियोजना मूल्यांकन कार्यालय में 06 जनवरी 2006 की पूर्वाह्न से उपसलाहकार के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. ए.-19/जी. ए./89/57/697--श्री सी. पी. शर्मा, निजी सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में मुख्य

निजी सचिव के रूप में संवर्ग बाह्य में, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जो कि 01.02.2006 से प्रभावी होता है, एक वर्ष के लिए या उनकी सेवा अपेक्षित रहने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शर्मा के वेतन एवं भत्तों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-II), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार नियमित किया जाएगा।

स्टेंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. 14031/1/2003-यू.टी.एस.--अरूणाचल प्रदेश, गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकरी श्री एस. के. जैन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2006 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2006

सं. 20/जी./2069-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, खेद के साथ यह सूचित करते हैं कि गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा का दिनांक 17.01.2006 को निधन हो गया है।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066, दिनांक 17 फरवरी 2006

सं. 32/34/2/2006-प्रशा. 1 (ए)/रा. अ. रि. ब्यूरो-18861--राष्ट्रपति, सहर्ष भारतीय पुलिस सेवा (यू. पी. : 74) के श्री एस. के. अवस्थी को गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में दिनांक 17.02.2006 के अपराह्न से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2006

सं. ए.-32013/2/2006-प्रशासन-I (जी.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 17 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री पी. के. मिश्रा
2.	श्री नवीन चन्द्र

2. यह तदर्थ नियुक्ति, इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। इनकी तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 14015/16/2005-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप नियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग में वर्ष 2005 के दौरान हुई 02 (दो) रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 16 नवम्बर, 2005 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई नागालैंड राज्य की सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग की वर्ष 2005 की चयन सूची दिनांक 24 जनवरी, 2006 को अनुमोदित कर दी हैं :--

चयन सूची-2005

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री एम. पैटन (अनु. ज. जाति)	12.04.1960
2.	श्री टी. लिमसोंग (अनु. जन. जाति)	01.03.1951

जे. एस. दहिया, अवर सचिव

सं. 14015/16/2005-अ.भा.से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1995 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति नागालैंड राज्य सिविल सेवा के सदस्यों श्री एम. पैटन (अनु. ज. जाति) और श्री टी. लिमसोंग (अनु. जन. जाति) को भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2005 की रिक्तियों पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें नागालैंड संवर्ग में आबंटित करते हैं।

जे. एस. दहिया, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2006

शुद्धि-पत्र

सं. 14012/09/2003-अ. भा. से. III--इस विभाग के दिनांक 02.12.2005 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक आशोधन में श्री सुनील कुमार बर्नवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (झारखंड : 1997 बैच) के स्थायीकरण की तारीख को 21.04.2000 के बजाय 07.09.1999 पढ़ा जाए।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 14012/01/2003-अ. भा. से. III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्रीमती हिमानी पाण्डेय	1998	07.09.2000

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/11/2005-अ. भा. से. III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान राज्य संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री पृथ्वी राज	2002	02.09.2004
2.	श्री तेली आशुतोष ए.	2002	02.09.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2006

सं. डी-III/460/सी. एफ.-38/2005--भारत के राष्ट्रपति ने श्री बिनोद कुमार खेमका की मुम्बई में हंगरी गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी हैं।

श्री बिनोद कुमार खेमका के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्य होंगे।

पी. पी. सरकार, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. डी-III/460/सी. एफ.-48/2005--भारत के राष्ट्रपति न श्री नाबिल खलीद हसन मैसेरी की मुम्बई में येमेन गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी हैं।

श्री नाबिल खलीद हसन मैसेरी के कौंसली क्षेत्राधिकार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्य होंगे।

पी. पी. सरकार, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2006

आयकर संस्थापन

सं. 2006 की अधिसूचना संख्या 3 (फा. सं. ए.-39011/1/2005-प्रशा. -VI)--राष्ट्रपति जी श्री अजय पाल लाम्बा, भारतीय राजस्व सेवा (पी.) का भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) से तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 9 दिसम्बर 2005 से तत्कालिक प्रभाव से स्वीकार करते हैं, जो सतर्कता निकासी के अध्यधीन हैं।

राहुल कश्यप, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2006

सं. ए.-22011/1/2006-प्रशा. 1 ए--आर्थिक कार्य विभाग (आई.ई.एस.अनुभाग) के दिनांक 25 जनवरी, 2006 के आदेश सं.-13016/1/2006-आई.ई.एस. के तहत इस विभाग में स्थानांतरण तथा तैनाती के फलस्वरूप राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 8 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उनके नाम के सामने दर्शाए गए पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अंशुमन मोहंती	सहायक निदेशक (इंफ्रा.)
2.	श्री वनलालरामसांगा	सहायक निदेशक (एफबी)

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए.-22011/1/2006-प्रशा. 1 ए--आर्थिक कार्य विभाग (आई.ई.एस.अनुभाग) के दिनांक 18.01.2006 के आदेश सं. 13016/3/2004-आई.ई.एस. के तहत भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV (जेटीएस स्तर) में पदोन्नति तथा समावेशन के फलस्वरूप राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 18 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री वी. के. गुप्ता	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री काली चरण	अनुसंधान अधिकारी

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2006

सं. 15012/1/2005-डी. आर. टी.--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री नरेन्द्र कुमार, मुख्य अधिकारी (विधि), सिंडिकेट बैंक को 30 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति, रिट याचिका सं. 535/2004 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के निर्णयाधीन हैं।

आर. के. शर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 फरवरी 2006

सं. ए.-19012/134/1993-स्थापना--वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में अवर सचिव, श्री करतार चन्द अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 28 फरवरी, 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/258/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, नागर विमानन संवर्ग, को 20 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से और अगला आदेश होने तक, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में पूर्णत: तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी :--

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति कभी भी, बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-12026/3/2004/प्रशा. 1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक, श्री आशीष मोहन को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पूर्णत: तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 02 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री अशोक मोहन की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी :--

(क) उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति श्री आशीष मोहन को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी।

(ख) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटे/सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा/सीधी भर्ती (स. भ.) से उपलब्ध अधिकारी के उपलब्ध होने तक के लिए रहेगी। इन तीनों श्रेणियों में श्री आशीष मोहन के नियमित नियुक्ति के लिए पात्र न होने की स्थिति में व नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर वह पुन: सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे।

मीताली घोष, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. पी. एफ. जी. (580)/97-प्रशा. II--श्री मुक्तार सिंह, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के अधिकारी ने अपने स्थानांतरण पर शासकीय समापक, उच्च न्यायालय, पटना का पद दिनांक 20.06.2005 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

2. केन्द्र सरकार ने श्री मुक्तार सिंह, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के अधिकारी को न्यायपीठ अधिकारी, कम्पनी विधि बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र न्यायपीठ, कोलकाता के पद पर 27.06.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, उप सचिव

सं. पी. एफ. जी. (588)/99-प्रशा. II--श्री के. एस. प्रधान, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के अधिकारी ने अपना स्थानांतरण होने पर शासकीय समापक का कार्यालय, उच्च न्यायालय, कोलकाता के सहायक शासकीय समापक का पद दिनांक 09.09.2005 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) तथा धारा 448(1) (1क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने श्री के. एस. प्रधान, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के अधिकारी को सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखंड सह-शासकीय समापक, उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची, के पद पर 12.09.2005 के अपराह्न से अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, उप सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2006

शुद्धि-पत्र

सं. टी.-49015/4/2004-बागान (क)--इस मंत्रालय की दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. टी-49015/4/2004-बागान (क) में "17 जून, 2005" शब्दों के स्थान पर "21 जून, 2005" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अदिति दास राऊत, निदेशक

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए.-22012/1/2002-व्य. 1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को 01.01.2006 से 30.06.2006 तक अथवा पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले होगा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिजय और उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एल. एन. बजाज

2. श्री रतन सिंह

2. वरिष्ठ प्रधान सचिव के ग्रेड रूप में इन अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णत: तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उक्त अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

जय प्रकाश, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/1/06-स्था.--राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्र कुमार कुरील, अनुभाग अधिकारी, के. स. से., मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में 27 जनवरी, 2006 अपराह्न से और अगले आदेशों तक बिल्कुल तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के. स. से. के ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बगैर कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/1/02-स्था. 1--राष्ट्रपति, श्री एस. के. शर्मा, अवर सचिव (के. स. से.) को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में बिल्कुल तदर्थ आधार पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उप सचिव (के. स.से.का चयन ग्रेड) नियुक्त करते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बगैर कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-15012/1/2005-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.1.2006 के आदेश सं. 21/24/2005-सी-एस.-I के तहत सी.एस.एस. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, डाक विभाग के अनुभाग अधिकारी, श्री आनंद प्रकाश को 31.1.2006 (पूर्वा.) से अगले आदेशों तक, कोयला मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रकाश चन्द, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-15012/1/2005-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.1.2006 के आदेश सं. 21/24/2005-सी-एस.-I के तहत सी.एस.एस. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, कोयला मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, श्री आर. सी. मनोचा को उन्हें 14.2.2006 (पूर्वा.) से अगले आदेशों तक, कोयला मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर, अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

आनंद प्रकाश, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 17 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/1/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री चंद्र कांत रीजोनिया को 23.01.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के. स. से. ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं :--

(i) उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

(ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

जोस थॉमस, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 16 फरवरी 2006

सं. ए.-12023/02/99-प्रशा. 1(ए)--इस विभाग की दिनांक 5 फरवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री बी. के. मन्थन, की 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में जमा 300/- रुपये प्रति मास विशेष वेतन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में डेस्क अधिकारी के रूप में 05.02.06 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए.-32011/01/2001-प्रशा. 1 (ए)--सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, श्री एस. के. चौधरी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 14.02.2006 से 13.08.2006 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती तथा तदर्थ सेवा उसी ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति, पुष्टि, नियमित आदि करने के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी। सरकार के पास संबंधित अधिकारी को बिना कोई कारण बताए अथवा सूचना आदि के तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2006

सं. ए.-32022/02/2005-प्रशा. 1(ए)--इस विभाग की दिनांक 12 जुलाई, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा इस विभाग की दिनांक 2 जनवरी, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की सहायक, श्रीमती किरन बाला कपूर की 6,500--10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में 01.01.2006 से आगामी छः मास की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक फरवरी 2006

सं. ए.-19013/01/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) (सी.एस.एल. सं. 5227) के अनुभाग अधिकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय के संवर्ग के श्री गोपाल कृष्ण बौराई को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 31.01.2006 (पूर्वाह्न) से आगे और आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीनिबास प्रधान, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. 19011/01/2006-भा.व. सेवा I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के 1996 के बैच के अधिकारी श्री विशाल गुप्ता को 9 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. जौहरी, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. 17016/2/99-भा. व. से. II (भाग) (.)--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकरण ने असम सरकार, मेघालय सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से श्री पी. जे. विजयाकर, भा. व. से. (ए. एम. : 92) की असम मेघालय संयुक्त संवर्ग से आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को आंध्र प्रदेश सरकार में उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित कर दिया है।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. 17016/2/99-भा. व. से. II (भाग) (.)--केन्द्र सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उप नियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम, मेघालय और उड़ीसा सरकार की सहमति से श्री मनोज वी. नायर भा. व. से. (ए. एम. 2001) को तत्काल प्रभाव से सेवा के असम मेघालय संयुक्त संवर्ग से उड़ीसा संवर्ग में स्थानान्तरित करती है।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2006

सं. ए.-32012/1/98-पी. II (.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 05/16/2003-सी.ए. II दिनांक 13.12.2005 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्रीमती सरस्वती राजगोपालन की तदर्थ प्रोन्नति 30.6.2006 तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में बढ़ाई जाती है।

2. श्रीमती सरस्वती राजगोपालन की प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ प्रोन्नति को 31.12.2005 के बाद जारी रखना पूर्णत: तदर्थ आधार पर हैं और उन्हें इस पद पर अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2006

सं. ए.-38012/1/2005-सी.एच.एस.-IV--अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी डॉ. हरिओम गुप्ता ने 30 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से विभागाध्यक्ष (विकृति रोग विज्ञान) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

राम लाल, अवर सचिव

सं. ए.-38012/1/2005-सी.एच.एस.-IV--अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप संवर्ग में सुपरटाइम ग्रेड के एक अधिकारी डॉ. रामेन्द्र चौधरी ने 30 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से कन्सलटैंट (सर्जरी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

राम लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-10011, दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. 12025/178/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. सुनील को 16.9.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. सुनील को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए.-38012/1/2005-भाचिप (स्था.-II)--अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त कर लेने के पश्चात्, श्रीमती उमा पिल्ले, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ. प्र. : 68) ने आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 31 जनवरी, 2006 के अपराह्न से सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/2/2006-आयुष(ई-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 5/1/2006-ई.ओ. (एस.एम.-I) दिनांक 30.01.2006 के अनुसरण में, श्री विजय सिंह, भा. प्र. से. (मध्य प्रदेश : 70) ने 1 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जनवरी 2006

सं. ए.-12022/16/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, डॉ. राजेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. टी. : 88) को 19 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए, ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए.-12022/7/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री के. नारायण कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए. एम. : 87) को 30 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. ए.-12013/1/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) के ग्रेड-IV (कनिष्ठ सावधिक वेतनमान में 8,000-275-13,500/- रुपये) के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 18 जनवरी 2006 के आदेश संख्या 11016/3/2004-आई.ई.एस. द्वारा 18.1.2006 अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश जारी करने की तारीख से अगले आदेशों तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	डा. एन. के. सिन्हा	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री राम पाल सिंह	अनुसंधान अधिकारी
3.	श्री राज पाल सिंह	अनुसंधान अधिकारी
4.	श्री रंजन मुखर्जी	अनुसंधान अधिकारी

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. ए.-19011/2/2006-स्थापना-I--सचिव, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री वी. सुब्रामण्यन, भा. प्र. से. (पश्चिम बंगाल : 71) ने दिनांक 01 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार त्याग दिया।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2006

सं. 32013/3/2005-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/21/2005-सी.एस.-II दिनांक 21.12.2005 के अनुसरण में राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग से संबद्ध निजी सचिव श्री एल. राधाकृष्णन को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में 10,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 30.1.2006 (पूर्वाह्न) से प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2006

सं. 13015/2/2006-आर.आई.सी.--राष्ट्रपति, श्रीमती कल्पना अमर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (76) को 31 अक्तूबर, 2005 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सचिव (संयुक्त सचिव स्तर में) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. ए. सिद्दीकी, उप सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2006

सं. 3-2/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, दिनांक 12 जनवरी, 2006 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2005-ई. ओ. (एस. एम.-I) के अनुसरण में, श्री सतीश लूम्बा, (आई. ए. और ए. एस. : 82) को 18 जनवरी, 2006 की अपराह्न से उनके पांच वर्षों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल, अर्थात् 7.4.2007 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, की शेष अवधि के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. दरगन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. ए.-32013/8/2005-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.9.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2005-सी.एस. I (I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित प्रवरण सूची वर्ष के अनुसार दूरसंचार विभाग के के. स. से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची	चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्ति की तारीख		
			स्वस्थाने	तदर्थ	नियमित
1.	श्री जगदीश कुमार	1996	9.8.1999	25.3.2004	1.7.1996
2.	श्री मोहिन्दर सिंह	1997	9.8.1999	25.3.2004	1.7.1997

(श्रीमती) टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.-1)

दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए.-32014/4/2004-प्रशा. I/प्रशा.II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को इसी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 6 माह की अवधि के लिए 1.1.2006 से 30.6.2006 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

1. श्री प्रीतम चन्द
2. श्रीमती जयश्री शिवरामन

2. उक्त नियुक्ति पूर्णत: तदर्थ आधार पर है और इससे उक्त अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक इन पदों पर बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(श्रीमती) टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.-1)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2006

सं. ए.-32014/3/2003-प्रशासन--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री एच. के. गांधी, सहायक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.12.2005 के आदेश सं. 21/61/2005-सी.एस.-I के अनुसरण में 20 फरवरी, 2006 पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न नियुक्ति करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति ग्रेड में लगातार जारी रखने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब और ऐसे ही नियमित उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं तो उनकी सहायक ग्रेड में पदावन्नति कर दी जाएगी।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 फरवरी 2006

सं. ए.-22013/1/2005-स्था.--राष्ट्रपति, सी. एस. एस. की नियमित सहायक, श्रीमती गीता चावला को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 25.01.2006 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर छः माह एवं नियमित उम्मीदवार की उपलब्धि तक, इनमें से जो भी पहले हो पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2006

सं. ए.-38012/3/2005-स्था.--पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग से श्री राजमल, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के आधार पर भारत सरकार की सेवा से दिनांक 31.01.2006 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 22nd February 2006

No. A-22012/01/2006-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Shaleen Kabra, IAS (JK : 1992) as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office w.e.f. the afternoon of 21.02.2006 for the remaining period of central tenure of four years i.e. upto 25.8.2006 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. ROY, Under Secy.

The 24th February 2006

No. A-22017/1/2006-PMA.—Consequent to his appointment on promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Home Affairs, Shri PP Madhavan, Officer on Special Duty has relinquished the charge of the post on the personal staff of Prime Minister with effect from the forenoon of December 13, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st January 2006

No. A-12022/2/2006-Admn.IV.—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200/-) to the Junior Administrative Grade (Rs. 12,000-375-16,500/-) of Indian Economic Service *vide* Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 06th December, 2005, Shri R. C. Dey, an officer of Indian Economic Service assumed charge as Deputy Adviser in the Project Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Bhubaneswar with effect from the forenoon of 06th January, 2006.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 8th February 2006

No. A-19/G-A/89/57/697.—Shri C. P. Sharma, Private Secretary in the Union Public Service Commission (UPSC) is hereby appointed as Principal Private Secretary in the ex-cadre Post in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Secretariat of the Election Commission of India on deputation basis with effect from 01-02-2006, for a period of one year or till his services are required, whichever is earlier.

2. The pay and allowances of Shri C. P. Sharma will be regulated in accordance with the Department of Personnel and Training's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II), dated 05.01.1994 as amended from time to time.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 13th February 2006

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Jain, an Indian Administrative Service Officer of 1989 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st January, 2006.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

New Delhi, the 22nd February 2006

No. 20/G/2069-Ad.I.—The President regrets to announce the death of Shri Anil Kumar Verma, a Section Officer of the Central Secretariat Service, Cadre of Ministry of Home Affairs, New Delhi on 17.01.2006.

J. B. SHARMA, Under Secy.

NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

New Delhi-110 066, the 17th February 2006

No. 32/34/2/2006-Ad.I(A)/NCRB-18861.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Awasthi, IPS (UP : 74) to the post of Director, National Crime Records Bureau, MHA w.e.f. the afternoon of 17.02.2006 for the period upto 25.03.2008 or until further orders.

B. S. DHUPIA, Assistant Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th February 2006

No. A-32013/2/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint the following Grade I Officers of Central Secretariat Service as Under Secretaries purely on an ad-hoc basis in Department of Personnel and Training with effect from 17th January, 2006 (F/N), until further orders:—

S. No.	Name of the Officer
1.	Shri P. K. Misra
2.	Shri Navin Chandra

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I. The ad-hoc appointment can be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 24th February 2006

No. 14015/16/2005-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7

of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005 on 24th January, 2006 for the Nagaland Cadre, containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Nagaland, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 16th November, 2005, towards filling up 02 (two) vacancies during 2005 in the Indian Administrative Service:—

SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer (S/Sh.)	Date of Birth
1.	M. Patton (ST)	12.04.1960
2.	T. Limsong (ST)	01.03.1951

J. S. DAHIA, Under Secy.

No. 14015/16/2005-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri M. Patton (ST) and T. Limsong (ST), members of the State Civil Service of Nagaland to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2005 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Nagaland Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

J. S. DAHIA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd February 2006

CORRIGENDUM

No. 14012/09/2003-AIS-III.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 02.12.2005 the date of confirmation of Shri Sunil Kumar Barnwal, IAS (JH : 1997 Batch) may be read as 07.09.1999 instead of 21-04-2000.

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 24th February 2006

No. 14012/01/2003-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Jharkhand, with effect from the date shown against her :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Smt Himani Pande	1998	07.09.2000

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/11/2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Rajasthan, with effect from the date shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Shri Prithvi Raj	2002	02.09.2004
2.	Shri Teli Ashutosh A.	2002	02.09.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(OFFICE OF THE DY. CHIEF OF PROTOCOL)

New Delhi, the 17th January 2006

No. D-III/460/CF-48/2005.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Nabil Khalid Hassan Maisery as Consul General of the Republic of Yemen in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Nabil Khalid Hassan Maisery comprises the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

The 14th February 2006

No. D-III/460/CF-38/2005.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Binod Kumar Khemka as Honorary Consul of the Republic of Hungary in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Binod Kumar Khemka comprises the States of Maharashtra, Gujarat and Goa.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 2nd February 2006

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. A-39011/1/2005-Ad. VI.—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Ajay Pal Lamba, IRS(P) from Indian Revenue Service (IT) w.e.f. 9th December, 2005 subject to vigilance clearance.

RAHUL KASHYAP, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th February 2006

No. A. 22011/1/2006-Admn. IA.—Consequent upon their transfer and posting to this Department *vide* Department of Economic Affairs (IES Section)'s Order No. 13016/1/2006-IES dated 25th January, 2006, the President is pleased to appoint the following officers in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- against the post mentioned against each with effect from the forenoon of 8th February 2006 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Designation
	S/Shri	
1.	Anshuman Mohanty	Assistant Director (Infra)
2.	Vanlalramsanga	Assistant Director (FB)

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. A- 22011/1/2006-Admn. IA.—Consequent upon their promotion and induction to Grade IV of IES (JTS level) *vide* Department of Economic Affairs (IES Section's) Order No. 13016/3/2004-IES dated 18th January, 2006, the President is pleased to appoint the following officers in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- against the posts mentioned against each with effect from the forenoon of 18th January 2006 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Designation
	S/Shri	
1.	V. K. Gupta	Research Officer
2.	Kali Charan	Research Officer

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 9th February 2006

No. A-15012/1/2005-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Narendra Kumar, Chief Officer (Law), Syndicate Bank, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Lucknow, for a period of five years with effect from 30th January, 2006 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, or till further orders, whichever is earlier.

The appointment is subject to the decision of the Allahabad High Court, Lucknow Bench, in the Writ Petition No. 535/2004.

R. K. SHARMA, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 15th February 2006

No.A-19012/134/1993-Estt.—Sh. Kartar Chand, Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, will stand retired from the Government Service with effect from 28th February, 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 21st February 2006

No. A-19011/258/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, Section Officer of CSS in the Civil Aviation Cadre, to the Grade I (Under Secretary) of CSS purely on an ad-hoc basis in Banking Division of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from 20th February, 2006 (F/N) and until further orders.

The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions:—

(i) The ad-hoc appointment, shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 21st February 2006

No. A-12026/3/2004-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Mohan, Assistant of the Central Secretariat Service (CSS) to the grade of Section Officer of the CSS in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 2nd January, 2006 and until further orders.

2. The ad-hoc appointment of Shri Ashish Mohan is subject to the following terms and conditions:—

(a) The ad-hoc appointment will not confer any right on Shri Ashish Mohan to continue in the grade of Section Officer indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade;

(b) The ad-hoc arrangement will continue till regular candidate in the Section Officer's grade is available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination/Direct Recruitment (DR). In the event of Shri Ashish Mohan not qualifying for regular appointment in any of these three categories, he will be reverted to the Assistant on availability of such regular officer.

MEETALI GHOSH. Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 16th December 2005

No. PFG(580)/97-Admn. II.—On his transfer, Shri Muktar Singh, a Junior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Official Liquidator, High Court, Patna with effect from the afternoon of 20.06.2005.

2. The Central Government have appointed Shri Muktar Singh, a Junior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Bench Officer, Company Law Board, Eastern Region Bench, Kolkata with effect from the forenoon of 27.06.2005, until further orders.

RAVINDER DUTT, Dy. Secy.

No. PG(588)/99-Admn. II. –On his transfer, Shri K. S. Pradhan, a Junior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Assistant Official Liquidator, from the Office of the Official Liquidator, High Court, Kolkata in the afternoon of 09.09.2005

2. In exercise of powers conferred by sub-section 2 of Section 609 and Section 448(1)(1A) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri K. S. Pradhan, a Junior time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies, Bihar & Jharkhand-cum-Official Liquidator, High Court, Jharkhand, Ranchi with effect from the forenoon of 12.09.2005, until further orders.

RAVINDER DUTT, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 21st February 2006

CORRIGENDUM

No. T-49015/4/2004-Plant (A).—In this Ministry's Notification No. T-49015/4/2004-Plant (A) dated 20 December 2005, for the words "17th June 2005", the words "21st June 2005" shall be substituted.

ADITI DAS ROUT, Director

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 4th January 2006

No. A-22012/1/2002-E.I.—The President is pleased to appoint following Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers' Service cadre as Senior Principal Priavate Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- on an ad-hoc basis, with effect from 01.01.2006 to 30.06.2006 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :

1. Sh. L. N. Bajaj

2. Sh. Rattan Singh

2. The promotion of the officers to the grade of Senior Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary.

JAI PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 20th February 2006

No. A-19011/1/06-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajender Kumar Kureel, Section Officer of CSS Cadre of the Ministry of Human Resource Development to the post of Under Secretary (Grade I of CSS) purely on ad-hoc basis in the Department of Chemicals & Petrochemicals with effect from the afternoon of 27th January, 2006 and until further orders.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I and it may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

The 21st February 2006

No. A-19011/1/02-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Sharma, Under Secretary (CSS) to the post of Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Department of Chemicals and Petrochemicals purely on ad-hoc basis with immediate effect and until further orders.

2. The above ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the Selection Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 20th February 2006

No. A-15012/1/2005-Adm.—Consequent upon his promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel &

Training's Order No. 21/24/2005-CS.I, dated the 17th January, 2006 Shri Anand Prakash, Section Officer of Department of Posts has been appointed as Under Secretary purely on adhoc basis in the Ministry of Coal w.e.f. 31st January, 2006 (FN) until further orders.

PARKASH CHAND, Dy. Secy.

New Delhi, the 21st February 2006

No. A-15012/1/2005-Admn.—Consequent upon his promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I, dated the 17th January, 2006 Shri R. C. Manocha, Section Officer of Ministry of Coal has been appointed as Under Secretary purely on adhoc basis in the Ministry of Coal w.e.f. 14th February, 2006 (FN) until further orders.

ANAND PRAKASH, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 17th February 2006

No. A-19011/1/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Chandra Kant Reejonia as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 23.01.06 (F.N.) and until further orders subject to the following conditions :—

(iii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

(iv) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

JOSE THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 16th February 2006

No. A-12023/02/99-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 5th February, 03, the Competent Authority is pleased to extend the term of appointment of Shri B. K. Manthan, a permanent Section Officer of CSS Cadre of the Ministry of Science & Technology as Desk Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- plus Rs. 300/- p.m. as Special Pay, in the Department of Science & Technology for a further period of three years w.e.f. 05/02/06 or until further orders, whichever is earlier.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A. 32011/01/2001-Admn.I(A).—Competent Authority in the Department of Science & Technology is pleased to appoint Shri S.K. Choudhary, Junior Technical Assistant to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Science & Technology for the period from 14.02.2006 to 13.08.2006 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same or for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Department reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

J.K. TRIKHA, Under Secy.

The 20th February 2006

No. A. 32022/02/2005-Admn.I(A)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 12th July, 2005, and in supersession of this Department's Notification of even number dated 02nd January, 06, the competent authority is pleased extend the term of appointment of Smt. Kiran Bala Kapoor, Assistant of CSS in the Ministry of Science & Technology as Section Officer (Ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 6500—10500/- in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology for a further period of six months with effect from 01.01.06 or until further orders whichever is earlier.

J.K. TRIKHA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 17th February 2006

No. A19013/01/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Gopal Krishna Baurai, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) (CSL No. 5227) Cadre of Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade as Grade I (Under Secretary) of CSS in the Department of Scientific and Idustrial Research in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on adhoc basis w.e.f. 31.01.2006 (FN) and until further orders.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 10th January 2006

No. 19011/1/2006-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri Vishal Gupta, an officer belonging to 1996 batch of AGMUT Cadre of Indian Forest Service, to the post of Assistant Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 09th January, 2006 for a period of four years or until further order.

A.K. JOHARI, Director

New Delhi-110003, the 23rd January 2006

No. 17016/2/99-IFS-II(Pt)(.)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and with the concurrence of the Government of Assam, Government of Meghalaya and Government of Andhra Pradesh, the competent authority has approved the inter cadre deputation of Shri P.J. Vijayakar, IFS (AM:92) from Assam Meghalaya Joint cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of five years with effect from the date of his joining in Andhra Pradesh Government.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. 17016/2/99-IFS-II(Pt.)(.)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Forest Service(Cadre) Rules, 1966 the Central Government with the concurrence of the Government of Assam, Meghalaya and Orissa hereby trasfer Shri Manoj V. Nair, IFS (AM:2001) from the Assam Meghalaya Joint Cadre to the Orissa Cadre of the Service with immediate effect.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 14th February 2006

No. A.32012/2/2005-P .II (.).—In pursuance of Department of Personnel &Training's O.M. No. 5/21/2005-CS.II dated 21.12.2005, the President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Sharma, Stenographer Grade 'A&B' (merged) i.e PS of CSSS of the Department of Secondary and Higher Education, to the Private Secretary Grade (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS on ad-hoc basis in scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 01.02.2006 for the period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Pivate Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 17th February 2006

No. A.38012/1/2005-CHS.IV.—Consequent on his retirement on attaining the age of superannuation, Dr. Hari Om Gupta, an officer of Higher Administrative Grade of the Central Health Service, relinquished charge of the post of HOD (Pathology), Safdarjang Hospital, New Delhi on the afternoon of the 30th November, 2005.

RAM LAL, Under Secy.

No. A.38012/1/2005-CHS.IV.—Consequent on his retirement on attaining the age of superannuation, Dr. Ramendra Chaudhury, an officer of the Supertime Grade in the Non-Teaching Specialist Sub-cadre of the Central Health Service, relinquished charge of the post of Consultant (Surgery), Safdarjang Hospital, New Delhi on the afternoon of the 30th November, 2005.

RAM LAL , Under Secy.

New Delhi-110011, the 21st February 2006

No. A.12025/178/2004-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 16.09.2005 until further orders. Dr. Sunil is posted as Medical Officer under Rural Health Training Centre, Najafgarh.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 31st January 2006

No. A-38012/1/2005-AYUSH(E-II).—On attaining the age of superannuation, Smt. Uma Pillai, IAS(UP:68) has relinquished the charge of the post of Secretary in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy(AYUSH), M/o Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 31st January, 2006

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

The 3rd February 2006

No.A-19011/2/2006-Ayush(E.II).—In pusuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 5/1/2006-EO(SM-I) dated 30-01-2006, Shri Vijay Singh, IAS(MP:70) has assumed the charge of the post of Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy(AYUSH), M/o Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 1st February, 2006.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-100001, the 20th January 2006

No. A-12022/16/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. Rajesh Kumar, IAS(MT:88) as Director in the Department of Rural Development with effect from the forenoon of 19th January 2006 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

The 31st January 2006

No. A-12022/7/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri K. Narayana Kumar, IAS (AM:87) as Director in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 30th January 2006 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

The 6th February 2006

No. A-32013/1/2006-Estt.I.—Consequent upon promotion to Grade IV(Junior Time Scale) of Indian Economic Service(IES) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 on regular basis, the President is pleased to appoint the following officers as Research Officer in the Ministry of Rural Development w.e.f. 18.1.2006 i.e. from the date of issue of promotion orders by Department of Economic Affairs vide No. 11016/3/2004-IES, dated 18th January, 2006 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Post
	(S/Shri)	
1.	Dr. N.K. Sinha	Research Officer
2.	Ram Pal Singh	Research Officer
3.	Raj Pal Singh	Research Officer
4.	Ranjan Mukherjee	Research Officer

H.C. BAVEJA, Under Secy.

The 8th February 2006

No. A-19011/2/2006-Estt.I.—Consequent on his appointment as Secretary, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Shri V. Subramanian, IAS (WB:71) has relinquished the charge of the post of Special Secretary & Financial Adviser, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 1st February 2006.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 23rd February 2006

No. 32013/3/2005 E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/21/2005-CS-II dated 21.12.2005, the President is pleased to appoint Sh. L. Radhakrishnan, PS belonging to CSSS cadre of the Ministry of Commerce and Industries, Deptt. of I. P. & P as Principal Private Secretary in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on ad hoc basis w.e.f. 30.1.2006 (Forenoon).

S.N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 15th February 2006

No. 13015/2/2006/RIC.—The President is pleased to appoint Smt. Kalpana Amar CSS(76) as Secretary (Joint Secretary level) in the National Commission for Safai Karamcharis w.e.f. 31.10.2005.

S.A. SIDDIQI, Dy. Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th February 2006

No. 3-2/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Satish Loomba, (IA&AS:82) as Joint Secretary in the National Commission for Women Ministry of Women and Child Development is the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 with effect from the afternoon of 18th January, 2006 for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. up to 7.4.2007 or until further orders, whichever event takes place earlier, in pursuance of Department of Personnel and Training's OM No.4/2/2005-EO (SM-I) dated 12th January, 2006.

S.K. DARGAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 22nd December 2005

No. A.32013/8/2005-Admn.I.—In pursuance to the Department of Personnel and Training's O.M. No.4/10/2005-CS.I(I), dated 15.9.2005, the President is pleased to appoint the following Grade I officers of the Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Telecommunications. Ministry of Communication & Information Technology to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis against the Select List Year mentioned against each in the Department of Telecommunications :

S. No.	Name of the Officer	Select List	Date of appointment in Selection Grade (Deputy Secretary)		
			In-situ	Adhoc	Regular
1.	Sh. Jagdish Kumar	1996	9.8.1999	25.3.2004	1.7.1996
2.	Sh. Mohinder Singh	1997	9.8.1999	25.3.2004	1.7.1997

(Smt.) T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 3rd January 2006

No. A.32014/4/2004-Admn.II/Admn.I.—The President is pleased to extend the term of appointment of the following Principal Private Secretaries of this Department as Senior Principal Private Secretaries on ad-hoc

basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of Department of Telecommunication for a further period of 6 months with effect from 01.01.2006 to 30.06.2006 or till regular Sr. PPSs become available or till further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Shri Pritam Chand
2.	Smt. Jayashree Sivaraman

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

(Smt.) T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23 February 2006

No. A.32014/3/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri H.K. Gandhi, Assistant on the CSS Cadre of the Ministry of Civil Aviation to officiate as Section Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 with effect from the forenoon of the 20th February, 2006 and until further orders, in pursuance to DOPT's Order No.21/61/2005-CS.I dated 13.12.2005.

2. His appointment to the post of Section Officer on ad-hoc basis shall not confer him any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade. He will be reverted to the Assistant Grade as and when regular candidates are available.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 16th February 2006

No. A-22013/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Geeta Chawla, a regular Assistants of the CSS as Section Officer, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500, on ad-hoc basis, for a period of six months or till regular candidates become available, whichever is earlier, with effect from 25.01.2006 (FN) in the Department of Shiping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways.

S.K. SHAHI, Under Secy.

The 21st February 2006

No. A-38012/3/2005-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri. Raj Mal, Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping retired from Government Service w.e.f. 31.1.2006 (AN).

S.K. SHAHI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006